(276)

नि०ग०02750/2018/रीवा/भू-रा०

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

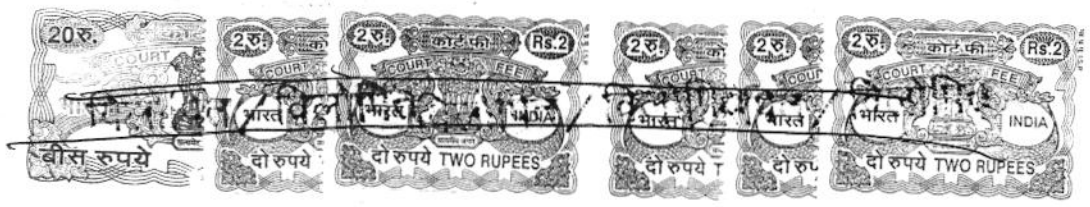

निजामुद्दीन तनय मोहैयतदीन निवासी ग्राम पिपरा, तहसील मउगंज, जिला रीवा (म0प्र0)

.........................निगरानीकर्ता

बनाम

इन्द्र कुमार तनय बैकुण्ठ प्रसाद निवासी ग्राम पिपरा तहसील मउगंज, जिला रीवा (म0प्र0)

.....................गैरनिगराकार

निगरानी विरूद्ध राजस्व निरीक्षक मउगंज तहसील मउगंज के प्रकरण कमांक 47/अ-12/17 × 18 में पारित आदेश दिनांक 05/04/2018

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य यह है कि गैरनिगराकार के द्वारा आराजी नं. 419, 420, 421 का रकवा कमशः 1.165, 0.036, 0.097 का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जहां पर आवेदक को पटवारी के द्वारा दिनांक 24/03/2018 को सूचना दी गई, लेकिन नियत दिनांक को सीमांकन न कर मनमानी रूप से गैर मौजूदगी में सीमांकन किया गया, जिसकी आपत्ति राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की गई, लेकिन उन आपत्तियों का निराकरण किये बिना सीमांकन की पुष्टि की गई इस सीमांकन पुष्टि के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी निम्नांकित बिन्दुओं के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

1. यह कि निगरानीधीन आदेश विधि प्रकिया एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
2. यह कि आवेदक के द्वारा सीमांकन की आपत्ति राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, लेकिन राजस्व निरीक्षक ने आपत्ति के आवेदन में लिखे तथ्यों पर कोई आदेश पारित नहीं किया, बल्कि यह उल्लेख किया कि आवेदक मौके पर उपस्थित थे इसलिये आपत्ति निराकृत की जाती है उनका यह निष्कर्ष विधि संगत नहीं है।
3. यह कि राजस्व निरीक्षक के द्वारा आराजी नं. 419 एवं 421 में पक्का मकान बना कर अतिकमण बताया है, जबकि आवेदक का मकान 418 में बना हुआ है एवं कुंआ, जामुन, आम तथा ट्यूबवेल लगा हुआ है इससे

(276)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 02750 / 2018 / रीवा / भू–रा0 जिला–.रीवा

निजामुद्दीन / इन्द्रकुमार

(1)	(2)
18-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील मउगंज, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 47 / अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16.02.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य